न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
284 / 2025	14.05.2025	03-10-2025

उनवान

1. श्री लेहरूनाथ पिता गोकलनाथ जोगी, निवासी किशनगढ, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. मांगु पिता रूपा रेबारी, किशनगढ, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाडा।
2. लादु पिता भूरानाथ जोगी, निवासी किशनगढ, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाडा।
3. सजनी पत्नि गोकनाथ जोगी, निवासी किशनगढ, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा।
4. देबीनाथ पिता गोकलनाथ जोगी, निवासी किशनगढ, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा।
5. रतन पिता भूरानाथ जोगी, निवासी किशनगढ, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी /नायब तहसीलदार बडलियास।

—विपक्षीगण

उपस्थितः—

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मदन व्यास उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं।

—:प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर0 एक्टः—

—::निर्णयः:—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनगढ पटवार हल्का किशनगढ़, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र नन्दराय, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 586/3 रकबा 0.0972 हैक्टयर, आराजी संख्या 587/2 रकबा 0.3241 हैक्टयर , आराजी संख्या 588/1 रकबा 0.0540 हैक्टयर आराजी संख्या 588/3 रकबा 0.0648 हैक्टयर, आराजी संख्या 588/6 रकबा 0.3241 हैक्टयर, आराजी संख्या 588/9 रकबा 0.2377 हैक्टयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.1019 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण की आराजियात के मध्य कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण का जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कर अवलोकन किया, चिन्तन मनन् किया एवं पत्रावली का वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमाकंन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विवेचन के कम में प्राथी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बड़लियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का ओदश दिया जाता है कि ग्राम किशनगढ पटवार हल्का किशनगढ, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र नन्दराय, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 586/3 रकबा 0.0972 हैक्टयर, आराजी संख्या 587/2 रकबा 0.3241 हैक्टयर , आराजी संख्या 588/1 रकबा 0.0540 हैक्टयर आराजी संख्या 588/3 रकबा 0.0648 हैक्टयर, आराजी संख्या 588/6 रकबा 0.3241 हैक्टयर, आराजी संख्या 588/9 रकबा 0.2377 हैक्टयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.1019 हैक्टयर कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावें। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है । इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जारक सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बड़लियास को 1000–00 अक्षरेः एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करें।

पत्रावली की निर्णय इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें । निर्णय आज दिनांक 03-10-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा